न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 32/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 मनोज जैन पुत्र बाबूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर। फर्म–मैसर्स प्रेमराज मनोज कुमार, स्टेशन रोड मारवाड मुण्डवा। 2 बाबूलाल जैन पुत्र लादूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर। फर्म–मैसर्स प्रेमराज मनोज कुमार, स्टेशन रोड मारवाड मुण्डवा।

दिनांक :23.12.2021

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 14-12-2020 को मैसर्स प्रेमराज मनोज कुमार, स्टेशन रोड मारवाड मुण्डवा पर खाद्य पदार्थ चाय (पदमजी ब्रान्ड) प्रीमियम गोल्ड में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1469 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 697/एक्ट/2020/319 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ चाय (पदमजी ब्रान्ड) प्रीमियम गोल्ड मिसब्रान्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण मनोज जैन पुत्र बाबूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर तथा बाबूलाल जैन पुत्र लादूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-03-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.12.2021 को अपने जवाब प्रस्तुत किये। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से चाय पत्ती पदम श्री का नमूना भरा। जो मिसब्रान्ड होना पाया गया। मै छोटा दुकानदार हूँ। कम पढा लिखा होने के कारण तारीख लगाने का मुझे ध्यान नही था। भविष्य मे बिना तारीख या बेच की कोई वस्तु नही खरीदूंगा। भविष्य मे ऐसी गलती नही करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 697/एक्ट/2020/319 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (पदमजी ब्रान्ड) प्रीमियम गोल्ड का नमूना मिसब्रान्डेड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं.1 मनोज जैन पुत्र बाबूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 2 बाबूलाल जैन पुत्र लादूलाल जैन जाति जैन निवासी तालाब का रास्ता, मारवाड मुण्डवा जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर (राजस्थान)